



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062021-227660
CG-DL-E-17062021-227660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 2181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISTHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2021

का.आ. 2345(अ).—जबकि के सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के भूतपूर्व पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 796 (अ), तारीख 01 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39) के कि.मी. 57.160 से 155.000 तक के बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना भाग को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39) के कि.मी. 88.600 से कि.मी. 155.000 तक के बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 40.642 कि.मी. के निवल सड़क खंड लंबाई और 1.99 कि.मी. (0.199 कि.मी. लंबाई वाले) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई) के लिए तालिका-1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट दर के 60% की दर से, एवं तालिका 1 के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 7.651 कि.मी. निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका-1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट दर से यांत्रिक वाहन से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृष्ट और संग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लम्बाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
सतना के निकट डिजाईन चैनेज कि.मी. 147.555 से कि.मी. 147.855	40.642 कि.मी.	दो लेन मय पेव्ड शोल्डर के लिए उक्त तालिका-1 में उल्लेखित आधार दर का 60%
	7.651 कि.मी.	उक्त तालिका-1 में उल्लेखित आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पथकर प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लम्बाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लम्बाई में अवसंरचनाओं की लम्बाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	सड़क की समानुपाती लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई कि.मी. में	सड़क के समकक्ष लम्बाई कि.मी. में	दर, जिस पर फीस संदेय है।
सतना के निकट डिजाईन चैनेज कि.मी. 147.555 से कि.मी. 147.855	0.199	1.99	दो लेन मय पेव्ड शोल्डर के लिए उक्त तालिका-1 में उल्लेखित आधार दर का 60%

* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना	लम्बाई (कि.मी.)
1.	कि.मी. 138.051 पर वृहद पुल	0.071
2.	कि.मी. 153.570 पर वृहद पुल	0.128
	योग	0.199

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 (रु. दो सौ पछत्तर रुपए मात्र) है और यह उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।
4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अति भार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी के वाहनों के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1क में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा और तदनुसार उसे अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 130.128 करोड़ है। [चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जनसुविधाओं के अंतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधन की जाएगी।

[फा. सं. सीई-आरओ / भोपला/15010/16/2019-20]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2021

S.O. 2345(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 796(E), dated 01st April 2008, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted Bameetha-Panna-Nagod-Satna Section of National Highway 75 (New National Highway 39) from existing Km. 57.160 to existing Km. 155.000 in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 40.642 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.99 km (having length of 0.199 km) and at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 7.651 Km on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of Bameetha-Panna-Nagod-Satna Section from Km 88.600 to Km 155.000 of National Highway 75 (New National Highway 39) in the State of Madhya Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Design Chainage Km 147.555 to Km 147.855 near Satna	40.642 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	7.651 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2 In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures

into an equivalent length of Highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Design Chainage Km 147.555 to Km 147.855 near Satna	0.199 km	1.99 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

* Details of structure having length more than 60m is as under:

Sr. No.	Structure having length more than 60m	Length (Km)
1	Major Bridge at Design Km. 138.051	0.071
2	Major Bridge at Km at Design Km. 153.570	0.128
	Total	0.199

3 The rate of monthly pass for a person, who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five Rupees Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway fee (determination of Rates and collection) Rules, 2008.

4 For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5 Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6 The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7 All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8 The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9 Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by

the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10 The estimated capital cost of the project is Rs. 130.128 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/BPL/15010/16/2019-20]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.